

न्यायिक कार्य स्थान/वाहक रसन

से पत्रावली दिनांक 31/10/23 को पेश हो।

31/10/23

उभय पक्ष उपस्थित विभागीय अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 9-1-24 को पेश हो।

✓

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

9-1-24 पत्रावली पेश हुई, वकील वार्दा उपस्थित, तहसीलदार  
माण्डल से विभाजन प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं।  
चाहते पत्रावली में देखने विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत  
दिनांक 12-1-24 को पेश हो। (11)

12-1-24 पत्रावली पेश हुई, वकील वार्दा उपस्थित, तहसीलदार  
माण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल  
पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वार्दा  
ने बहस करनी चाही। वकील वार्दा की बहस सुनी गयी।  
बहस के दौरान वकील वार्दा ने वाद पत्र को स्वीकार किया जाने  
की इस्तुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील वार्दा की बहस पर  
मंजूर किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को अवलोकन किया।  
व्यायक्ति मैं प्राप्त विभाजन रकम के अनुसार वार्दा का  
वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिडी बहस वार्दा एवं  
प्रतिवादी सरख्या 1 लगायत 3 में इस आशय की जारी की  
जाती है। कि ग्राम लसाड़िया परिवार हल्का अमरगढ़  
तहसील माण्डल में स्थित निर्नोदित आराजियात  
विभाजन अनुसार वार्दा एवं प्रतिवादी सरख्या  
01 लगायत 03 के नाम हक हिस्से अनुसार भूमि को  
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये  
जाते हैं। विभाजन अनुसार भूमि वार्दा एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला मोतयाड़ा

तारीख हुका	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज																																
	<p>सेख्या 01 लगायत 03 के नाम निम्नानुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे।</p> <p>1. श्री च्यारा पिता श्री भांगु बलाई सांलसाड़िया खातेदार</p> <table border="0"> <tr> <td><u>आराजी नं०</u></td> <td><u>रकबा ह०</u></td> <td><u>खिरम</u></td> <td><u>लगान</u></td> </tr> <tr> <td>737/3</td> <td>0.1392</td> <td>बल्ली II</td> <td>1-21</td> </tr> </table> <p>2. श्रीमती जमनी पत्नी श्री भांगु बलाई सांलसाड़िया खातेदार</p> <table border="0"> <tr> <td><u>आराजी नं०</u></td> <td><u>रकबा ह०</u></td> <td><u>खिरम</u></td> <td><u>लगान</u></td> </tr> <tr> <td>737/2</td> <td>0.0632</td> <td>बल्ली II</td> <td>0.55</td> </tr> </table> <p>3. श्री नारायण पिता श्री फालु बलाई सां गाडरमालात भीखवाड़ा खातेदार</p> <table border="0"> <tr> <td><u>आराजी नं०</u></td> <td><u>रकबा ह०</u></td> <td><u>खिरम</u></td> <td><u>लगान</u></td> </tr> <tr> <td>737/4</td> <td>0.0379</td> <td>बल्ली II</td> <td>0.33</td> </tr> </table> <p>4. श्रीमती सरजू पत्नी श्री भांगु बलाई सां अमरठाढ़ खातेदार</p> <table border="0"> <tr> <td><u>आराजी नं०</u></td> <td><u>रकबा</u></td> <td><u>खिरम</u></td> <td><u>लगान</u></td> </tr> <tr> <td>737/5</td> <td>0.0379</td> <td>बल्ली II</td> <td>0.33</td> </tr> </table> <p>उक्तानुसार भूमि वादी एव प्रतिवादीगण सेख्या 01 लगायत 03 के नाम हक हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार भूमि वादी एव प्रतिवादीगण सं० 01 लगायत 03 के मध्य राजस्व रेकार्ड मे अमलदरांमद करे। तदनुसार डिडी जारी हो। स्वर्चा करिकेन अपना-अपनो बंधन करे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भोजपाड़ा</p>	<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा ह०</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>	737/3	0.1392	बल्ली II	1-21	<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा ह०</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>	737/2	0.0632	बल्ली II	0.55	<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा ह०</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>	737/4	0.0379	बल्ली II	0.33	<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>	737/5	0.0379	बल्ली II	0.33
<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा ह०</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>																														
737/3	0.1392	बल्ली II	1-21																														
<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा ह०</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>																														
737/2	0.0632	बल्ली II	0.55																														
<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा ह०</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>																														
737/4	0.0379	बल्ली II	0.33																														
<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा</u>	<u>खिरम</u>	<u>लगान</u>																														
737/5	0.0379	बल्ली II	0.33																														

डिक्री

( आ० 20 नियम 6 / आ०दी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मारुडल जिला भीलवाडा राजस्थान  
वईजलास श्री हुकमीचन्द्र रोह्लामिया ( आ००००००० )

अनदान प्रकरण

श्री धारा पिता श्री मांगू बलाई निवासी-लसाडिया तहसील-भाण्डल

वादी

दनाम

1. श्रीमती अमली पत्नी श्री माधू बलाई निवासी-लसाडिया तहसील-भाण्डल
2. श्री नारायण पिता श्री कालू बलाई निवासी-गाडरमाळा तहसील-भीलवाडा
3. श्रीमती सरजु पत्नी श्री मांगू बलाई निवासी-अमरगढ तहसील-भाण्डल
4. राजस्थान राज्य जारिए तहसीलदार साहब भाण्डल तहसील-भाण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 मुकदमा न०/ वष 67/22 नियंच दिनांक 12-01-24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिजल कर्ता स्वमप अदालत द हिजरी वकील वादी

मिनजानिव मुददई व श्री पवनकुमार शर्मा 10. जालानिव मुददला पेश हांकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर

डिक्री बहस वादी संव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 में इस आशय की जारी

की जाती है कि ग्राम लसाडिया पटवार हल्का अमरगढ तहसील-भाण्डल में

स्थित निम्नोक्त आराजियात विभाजन अनुसार वादी संव प्रतिवादीगण

संख्या 01 लगायत 03 के नाम हक हिस्से मुसार भूमि को राजस्व रिकॉर्ड

में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है विभाजन अनुसार वादी संव

प्रतिवादी संव 01 लगायत 03 के नाम हक हिस्से मुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए।


1. श्री धारा पिता श्री मांगू बलाई सा० लसाडिया शवातेदार

आराजी नं० रुकबाई खिसम लगान

737/3 0.1392 नहरी 1-21

→ P.T. 0. →

आज तारीख 12-01-24 का नर हक अर एव न्या मलय ही महर में जारी है।  
गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मारुडल जिला भीलवाडा

2. श्रीमती जमनी पत्नी श्री माधु बलाई सा. लसाडिया खातेदार

<u>आराजी नं.</u>	<u>शकबा हं</u>	<u>किस्म</u>	<u>लगाव</u>
737/2	0.0632	महरी II	0.55

3. श्री नारायण पिता श्री कालू बलाई सा. गाडरमाला तहसील भीलवाड़ा खातेदार

<u>आराजी नं.</u>	<u>शकबा हं</u>	<u>किस्म</u>	<u>लगाव</u>
737/4	0.0379	महरी II	0.33

4. श्रीमती सरजू पत्नी श्री मांगू बलाई सा. अमरगढ़ खातेदार

<u>आराजी नं.</u>	<u>शकबा हं</u>	<u>किस्म</u>	<u>लगाव</u>
737/5	0.0379	महरी II	0.33

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 के नाम हफ हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सेख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल करामद करे। खर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा